

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- भगवानलाल गाडरी
किस्म मुकदमा - 136 भू रा.अधि.

विपक्षी :- राज्य
पत्रावली संख्या : 34/25
जीसीएमएस : 2025/110

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्द तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 23.05.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं राजपेरोकार उपस्थित। प्रार्थी एवं राजपेरोकार की बहस सुनी गई। सहखातेदार सवाबाई, नारायण, दुदा उपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में स्वयं का नाम भगाराम पुत्र चतरा गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जनआधार कार्ड की प्रति, पैन कार्ड की फोटोप्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, राशनकार्ड की फोटोप्रति, मुलनिवास प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, जाति प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, जॉब कार्ड की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत वीरधोलिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 17.02.2025, स्वयं प्रार्थी का 50/- रुपये स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भगवानलाल पिता चतरा अंकित होना जाहिर होता है। आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम भगाराम उर्फ भगवान लाल गाडरी अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि भगाराम पिता चतरा एवं भगवान लाल पिता चतरा एक ही व्यक्ति है। सहखातेदार/चतरा के वारिसान द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि भगाराम पिता चतरा एवं भगवानलाल पिता चतरा एक ही व्यक्ति है। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पालवास कला पटवार हल्का वीरधोलिया तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 65, 66, 67, 68 पर दर्ज आराजीयात भूमि में सह खातेदार भगाराम पुत्र चतरा के बजाय भगाराम उर्फ भगवानलाल पुत्र चतरा संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

